FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0205 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/09/2024 20:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/09/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 16:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/09/2024 **Time (समय):** 18:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/09/2024 20:03:12 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 160 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** PANCHAYAT SAMITI KARYALAYA GHANTIYALI, DIST.PHALODI

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHISHPAL URF SUBHASH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BABURAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAJEEV NAGAR BARJASAR, PHALODI, LOHAWAT, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAJEEV NAGAR BARJASAR, PHALODI, LOHAWAT, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BANSHU KHAN		पिता:HUSSAIN KHAN	1. THATO KI DHANI BARJASAR,PHALODI,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि दिनांक 24.08.2024 को वक्त 1.15 पी.एम. पर कार्यालय हाजा में मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष पुत्र श्री बाबुराम जाति विश्नोई उम्र 31 साल निवासी बरजासर तहसील फलोदी पुलिस थाना लोहावट जिला फलोदी ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि मै खेती बाडी का कार्य करता हुं, मेरी ग्राम पंचायत बरजासर की सरपंच श्रीमती अरबा खातु हैं परन्तु ग्राम पंचायत बरजासर का सरपंच पद का सम्पूर्ण कार्य सरपंच का जेठ श्री बच्चुखां द्वारा किया जा रहा हैं, जो पैराटीचर भी लगा हुआ हैं। मेरी पत्नी श्रीमती द्रोपदा के नाम से ग्राम पंचायत बरजासर मे नरेगा योजना के तहत वर्ष 2021-2022 मे एक टांका स्वीकृत हुआ था, जिनके आॅनलाईन स्वीकृति क्रमंाक 2715008313/ IF/112908658255 हैं, इसके साथ ही मेरे पडौसी ओमाराम पुत्र सोनाराम एवं सोनाराम पुत्र अमलुराम के नाम से टांका भी नरेगा मे स्वीकृत हैं उक्त तीनो टांको पर मस्टरोल जारी करवाये थें उक्त मस्टरोल में पुरा पेंमेन्ट भरने एवं अन्य कार्य प्लान में फीड करने के बदले श्री बच्चुखां मेरे से प्रत्येक श्रमिक के 500 रुपये के हिसाब से रिश्वत मांग रहा हैं, मै सरपंच प्रतिनिधि बच्चुखां को उक्त तीनो टांको के मिस्टरोलो मे पुरा पेमेंन्ट भरने, नये मिस्टरोल जारी करने व नये काम प्लान में फीड करने के बदले 60000/ रुपये रिश्वत लेते हुए रगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि एवं सरपंच से कोई दुश्मनी नही हैं तथा ना ही मेरी सरपंच तथा सरपंच प्रतिनिधि से कोई लेन-देन बकाया हैं। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट में अकित तथ्य एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से आईन्दा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 24.08.2024 वक्त 1.50 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री संजय कानि. 587 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री संजय कानि. 587 से परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी शिशपाल उर्फ सुभाष एवं श्री संजय कानि को कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी व श्री संजय कानि.के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष ने बताया कि आज काफी समय हो चुका है, ग्राम बरजासर पहुंचने में काफी समय लगेगा तथा हम पहुंचेगे तब तक रात हो जायेगी फिर रात मे सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखां से मिलेगे तो उसे शक होने की सम्भावना रहेगी, इसलिये कल दिनांक 25.08.2024 को दिन में मिलगें। जिस पर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के बताये अनुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन आईन्दा कल दिनांक 25.08.2024 को करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को समझाईस की गई कि आप कल दिनांक 25.08.2024 को दिन में ग्राम बरजासर उपस्थित रहना आपके पास श्री संजय कानि. आयेगा तथा आप आरोपी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि की उपस्थिति का मालुमात कर श्री संजय कानि. से डिजिटल वाॅयस रिकार्डर लेकर श्री बच्चुखां के पास जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 03.35 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं कल दिनांक 25.08.2024 को श्री संजय कानि. 587 के ग्राम बरजासर में उपस्थित आने पर श्री संजय कानि. से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने की हिदायत कर रवाना किया। वक्तः- 3.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री संजय कानि. को कल दिनांक 25.08.2024 को 6.00 एएम पर कार्यालय में पहुंच कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर ग्राम बरजासर पहुंच परिवादी से सम्पर्क रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 25.08.2024 वक्त 6.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा पर पहुंच कार्यालय में उपस्थित कानि. श्री संजय कानि0 587 को कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकार्डर निकालकर उसमे खाली होना सुनिशिचित कर उसमें मेमोरी कार्ड आरडी माईक्रो 8 जीबी कम्पनी का डालकर डिजिटल वाॅयस रिकार्डर श्री संजय कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु ग्राम बरजासर के लिए रवाना किया। वक्तः- 8.00 पी.एम पर श्री संजय कानि. 587 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर पेश का बताया कि मै निर्देशानुसार कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय से

रवाना होकर ओसिया पहुचा तब वक्त 9.15 ए.एम पर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन आया व परिवादी ने बताया कि मैने अपने स्तर पर सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखां का ग्राम बरजासर मे उपस्थित होने बाबत मालुमात किया तो सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखा नागौर साईड गया हुआ हैं, उनके वापस आने पर मै पुनः जरिये फोन आपको सूचित कर दूगां अभी आप ओसिया पर ही रुको। जिस पर मै साय करीब 5.00 पी.एम तक परिवादी के फोन के इन्तजार मे ओसिया मे ही मुकिम रहा वक्त 5.03 पी.एम पर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन आया तथा परिवादी ने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखां अभी तक बरजासर नही आया हैं, मेरे द्वारा सरपंच प्रतिनिधि के बारे मे मालूमात किया तो अभी वह नागौर ही हैं, अतः आज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना सम्भव नही हैं आप वापिस चले जाओ आईन्दा सरपंच प्रतिनिधि नागौर से वापिस आने पर या सम्पर्क होने पर मै जरिये मोबाईल आपको या श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित कर दूगा। जिस पर मै ओसिया से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया हुं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर सुरक्षित अलमारी मे रखा गया तथा श्री संजय कानि. को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं परिवादी से सम्पर्क होने पर तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करने की हिदायत की गई। दिनांक 30.08.2024 वक्तः- 1.35 पी.एम पर श्री सजयं कानि0 587 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि वक्त 1.30 पी.एम पर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ श्री सुभाष के मोबाईल नम्बर [redacted] से मन कानि. के मोबाईल नम्बर पर फोन आया व परिवादी ने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर श्री बच्चुखां अभी गांव मे ही हैं, कल दिनांक 31.08.2024 को आप रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपस्थित आवे, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री संजय कानि. को कल दिनांक 31.08.2024 को 7.00 एएम पर कार्यालय में पहुंच कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर ग्राम बरजासर पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांकः- 31.08.2024 वक्तः- 7.00 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा पर पहुंच कार्यालय में उपस्थित कानि. श्री संजय कानि0 587 को कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री संजय कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु ग्राम बरजासर व आउ के लिए रवाना किया। वक्तः- 12.50 पी.एम पर श्री संजय कानि0 587 ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन पर काॅल कर अवगत करवाया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर ओसिया के आस-पास पहुचा तब परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के मोबाईल नम्बर से मन कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन आया व परिवादी ने बताया कि आप ओसिया बस स्टेण्ड पर उतर जाओ मै ओसिया बस स्टेण्ड पर आ रहा हुं जिस पर मै ओसिया बस् स्टेण्ड पर पहुच परिवादी के आने के इन्तजार मे व्यस्त हुआ कुछ समय बाद परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष बस स्टेण्ड ओसिया पर उपस्थित आया। जिस पर मै व परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष परिवादी की मोटरसाईकिल से ओसिया से रवाना होकर ग्राम बरजासर होते हुए थाटो की ढाणी रोड सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखा के ढाणी से थोडा पहले पहुंच मोटरसाईकिल को साईड मे खडा किया। तत्पश्चात मैंने परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को डिजिटल वाॅयस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखां के ढाणी की तरफ रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए सरपंच प्रतिनिधि के ढाणी के आस पास थाटो की ढाणी रोड पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पशचात परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष वापस मेरे पास आया जिस पर मैने परिवादी से डिजिटल वाॅयस रिकार्डर लेकर स्विच आॅफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष ने मेरे को बताया कि सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखां अपनी ढाणी पर उपस्थित मिला तथा मेरी सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखां से मेरे कार्य के संबंध मे वार्ता हो गई हैं जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. श्री संजय को कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकार्डर लेकर कार्यालय आने एवं परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को आईन्दा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय मे उपस्थित होने एवं अब तक कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत देने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पशचात वक्त 06.15 पी.एम. पर श्री संजय कानि0 587 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकार्डर स्विच आॅफ सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा हालात उपरोक्त फिकरा अनुसार निवेदन किये तथा यह भी बताया कि आपके निर्देशानुसार मैंने परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने तथा गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर कस्बा आउ में छोडा जाकर कार्यालय पर उपस्थित आया हुं। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर मे रिकाॅर्ड वार्ता को सुना गया तो संग्दिध आरोपी श्री बच्चुखंा सरपंच प्रतिनिधि ग्राम बरजासर द्वारा परीवादी से 120 गुणा 500 अर्थात 60,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। जिस पर परिवादी द्वारा कम करते हुए 30,000/- रुपये देने हेतु कहने पर आरोपी श्री बच्चुखा द्वारा 30,000/- रुपये रिश्वत लेने हेतु सहमत होना पाया गया हैं। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया एवं उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्राम्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। दिनांकः- 06.09.2024 वक्त- 4.17 पी.एम पर मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के मोबाईल नम्बर [redacted] पर का ॅल कर संदिग्ध आरोपी श्री बच्चुखां को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के लेकर कार्यालय मे उपस्थित आने के बारे में वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि मै पारिवारिक कारण से बाहर रिस्तैदारी मे गया हुआ हु, जो 3-4 दिन बाद वापिस गांव आउगा, उसके पशचात मै सरपंच प्रतिनिधि को रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय मे उपस्थित हो जाउगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अब तक कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर, रिश्वत राशि की व्यवस्था कर शीध्र ही एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांकः- 09.09.2024 वक्तः- 4.30 पी.एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के कार्यालय पहुंच परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यो तथा आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के हालात निवेदन किये जाकर श्रीमान से रहबरी हासिल की गई। दिनांक 10.09.2024 वक्त 5.23 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के मोबाईल नम्बर पर का ॅल कर आरोपी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि लेकर कल दिनांक 11.09.2024 को 9.30 ए.एम. तक कार्यालय हाजा उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पशचात वक्तः- 5.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जोधपुर के नाम से पत्र क्रम ांक 2050 दिनांक 10.09.2024 तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री ताराचन्द हैड कानि0 112 को उक्त पत्र सुपुर्द कर रवाना किया गया। वक्त 5.50 पी.एम. पर श्री ताराचन्द हैड कानि0 112 उपरोक्त फिकरा के कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जोधपुर गया हुआ दो कार्मिकों को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री प्रतापसिह पुत्र स्व0 श्री रतनसिह जाति राजपूत उम्र 50 साल, पैशा नौकरी, निवासी मकान नम्बर बी-33 यू.आई.टी. का ॅलोनी प्रतापनगर जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर एवं श्री गंगासिह भाटी पुत्र श्री लक्ष्मणसिह जाति राजपूत उम्र 43 साल पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 54 मोहन नगर-ए बी0जे0एस0 का ॅलोनी जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्तः- 6.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह एवं श्री गंगासिह को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरते तथा कल दिनांक 11.09.2024 को वक्त 9.00 एम पर कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। साथ ही समस्त स्टाफ को कल दिनांक 11.09.2024 को वक्त 9.30 ए. एम पर कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 11.09.2024 वक्त 9.35 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह एवं श्री गंगासिह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबंदसुदा कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्त 1.50 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष कार्यालय में उपस्थित आया एव मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच श्रीमती अरबाखातु का जेठ) को मेरी पत्नी के नाम स्वीकृत टांके के लिए ही रिश्वत दूंगा। श्री बच्चूखां ने मेरे से तीन टांको मेरी पत्नी, श्री सोनाराम व श्री ओमाराम के लिये मांग सत्यापन के दौरान 30,000/- रूपये की रिश्वत मांगी थी। परन्तु मैं केवल मेरी पत्नी के हिस्से की 10,000/- रूपये ही दे सकता हुं, जिसकी व्यवस्था कर कल दिनांक 12.09.2024 को लेकर आ जाउगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000/- रुपये रिश्वत राशि पर अग्रिम कार्यवाही ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थित उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष का आपसी परिचय करवाया गया, तथा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वा ॅयस रिकार्डर निकालकर चालु कर उसमें परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष एवं संदिग्ध आरोपी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 31.08.2024 को सुनाया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष से पूछताछ कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की तसल्ली कर प्रकरण हाजा मे बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति दी जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त 2.30 पी एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष एवं आरोपी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच श्रीमती अरबाखातु का जेठ) ग्राम पंचायत बरजासर के मध्य दिनांक 31.08.2024 को हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वा ॅईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू गवाहान व परिवादी के उक्त डिजिटल वा ॅयस रिका ॅर्डर को कार्यालय के लेप-टा ॅप से जोडकर लेप-टा ॅप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री संजय कानि0 587 की सहायता से रिश्वत राशि मांग

सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। उक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर मे रिकाॅर्ड वार्ता की श्री संजय कानि0 587 से डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर को कार्यालय के लेप-टाॅप से जोडकर डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर मे रिकाॅर्ड वार्ता की कार्यालय के लेप-टाॅप मे काॅपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टाॅप की मदद से 4-4 जीबी के दो मैमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। उक्त दो मैमोरी कार्ड मे से एक मैमोरी कार्ड जिसमे रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कुल वार्ता 49.7 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मैमोरी कार्ड को मूल मैमोरी कार्ड मानते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु गवाहान व परिवादी के मूल मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड के पैकेट मे डलवाकर तत्पश्चात एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त शील्डसुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं डब मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि0 61 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात वक्त- 5.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रतापसिह कनिष्ठ सहायक एवं श्री गंगासिह कनिष्ठ सहायक कल दिनांक 12.09.2024 को वक्त 8.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित आने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया। तत्पश्चात वक्तः- 5.40 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को संदिग्ध आरोपी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रुपये की व्यवस्था का कल दिनांक 12.09.2024 को वक्त 8.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया साथ ही समस्त स्टाफ को कल दिनांक 12.09.2024 को वक्त 8.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 12.09.2024 वक्त 8.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह एवं श्री गंगासिह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबंदसुदा कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्तः- 8.05 ए.एम पर पूर्व से पाबंदसुदा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 10,000/- रुपये लेकर आया हुं, जो मेरे पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखी है। तत्पश्चात वक्त 8.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष ने अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट के सामने की बांयी जेब से निकाल कर आरोपी श्री बच्चुखंा को दी जाने वाली रिश्वत राशि 500-500 रू. के कुल 20 नोट कुल 10,000/- रुपये रूबरू स्वतंत्र गवाहान श्री प्रतापसिंह व श्री गंगासिंह के प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट नंबर एवं सुपुर्दगी मे अंकित किये गये। जिनके नम्बर निम्नानुसार हैः- क्र.सं. नोट का विवरण नोट के नम्बर 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7GH 468920 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1BS 154717 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4GP 990334 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1UH 626019 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0NN 843033 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4PH 882470 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0DH 219569 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8TW 565843 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8MT 185639 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5MN 257704 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5TL 067990 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2WD 432506 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9UR 958683 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8TF 698889 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6PM 810836 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0WF 836164 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8FG 530387 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3HV 780443 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9RF 880601 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3QD 005260 मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वत राशि 10,000/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री प्रतापसिंह से लिवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपडो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 10,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से ही परिवादी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वत राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने

मोबाईल नं. [redacted] से मन् पारस सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस काॅल/काॅल अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री अचलाराम हैड. कानि. 61 के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलासे ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री अचलाराम हैड कानि0 61 के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाॅफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकस्मिक खर्च के 3000 रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री अचलाराम हैड कानि0 61 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवई जाकर हैड कानि0 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। अब तक के हालात उच्चधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात वक्त 9.28 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संग्दिध आरोपी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि के मोबाईल नम्बर [redacted] की लोकेशन ली गई तो संग्दिध आरोपी श्री बच्चुखां की लोकेशन ग्राम पंचायत मुख्यालय बरजासर पर नहीं होकर ओसिंया के आस-पास होना पाई गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के वाॅटस-अप मोबाईल नम्बर [redacted] से संग्दिध आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाॅटस-अप पर Hi लिखवाकर मैसेज छोडा गया जिस पर संग्दिध आरोपी के उक्त मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के उक्त मोबाईल पर वाॅटस-अप काॅल आया, उक्त काॅल परिवादी द्वारा रिसीव कर संग्दिध आरोपी की उपस्थिति के बारे में पूछा तो आरोपी ने जोधपुर जाना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ब्यूरो टीम द्वारा आरोपी के जोधपुर आने के इन्तजार मे कार्यालय हाजा पर ही मुकिम हुए। वक्त 10.03 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के वाॅटस-अप मोबाईल नम्बर [redacted] से संग्दिध आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाॅटस-अप काॅल कर बात करवाई तो संग्दिध आरोपी श्री बच्चुखां ने परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को कहा कि मै जोधपुर एम्स आ रहा हुं जो करीब दो घण्टे बाद एम्स से फ्री हो जाउगा, आप मुझे उसके बाद काॅल कर पता कर लेना अपन जोधपुर मे ही मिल लेगें। तत्पश्चात वक्त 10.45 ए.एम. पर परिवादी शिशपाल उर्फ सुभाष एवं संदिग्ध आरोपी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि के मध्य दिनांक 31.08.2024 को हुई रुबरु रिश्वत राशि मांग सात्यापन वार्तालाप के दौरान संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से मांग की गई रिश्वत राशि मे से श्री दिनेश कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति घटियाली को भी 200/- रुपये प्रति श्रमिक देना पडता हैं, इत्यादि वार्ता होना पाई गई हैं। अतः संदिग्ध आरोपी श्री बच्चुखां एवं परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि की श्री दिनेश कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति घटियाली से जरिये मोबाईल फोन वार्ता करने का प्रयास किया जावेगा जिस पर श्री दिनेश कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति घटियाली द्वारा इस बाबत वार्ता होने की सम्भावना को देखते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिनेश को दस्तियाब करने हेतु श्रीमती अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री राम किशोर कानि0 13 मय बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 को आउ फलोदी की तरफ रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष एवं शेष ब्यूरो जाब्ता संदिग्ध आरोपी के जोधपुर आने के इन्तजार मे कार्यालय मे ही मुकिम हुए। वक्त 1.56 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के वाॅटस-अप मोबाईल नम्बर [redacted] से संग्दिध आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted]

पर वाॅटस-अप पर काॅल कर बात करवाई तो संग्दिध आरोपी श्री बच्चुखां ने परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को कहा कि मै जोधपुर एम्स में बिजी हुं। फ्री हुआ तो मैं पुनः काॅल कर दूंगा नही तो कल बात करूगा। तत्पश्चात वक्तः- 2.16 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क कर ब्यूरो जाब्ता मय वाहन एवं वाहन चालक के कार्यालय हाजा पहुचने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 2.35 पी.एम. पर संदिग्ध आरोपी श्री बच्चुखां द्वारा परिवादी को बताये हालात अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आईन्दा 2-3 दिन बाद करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वती राशि 10,000/- रूपये परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह कनिष्ठ सहायक से निकलवाये जाकर एक सफेद कागज में लिपटवा कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित अलमारी मे रखा जाकर अलमारी की चाबी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास रखी गई। तत्पश्चात वक्तः- 2.40 पी.एम पर सवतंत्र गवाहान सर्व श्री प्रतापसिह एवं श्री गंगासिह कनिष्ठ सहायक को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने, मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नही छोडने तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आईन्दा सूचित करने पर तुरन्त इस कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्तः- 2.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि द्वारा आपसे सम्पर्क करने पर तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करावे तथा तुरन्त कार्यालय मे उपस्थित आवे। साथ ही अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्तः- 7.15 पी.एम पर इस समय श्रीमती अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री राम किशोर कानि0 13 मय बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 के आउ फलोदी की तरफ गये हुए कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। दिनांकः- 16.09.2024 को वक्त- 6.43 पी.एम पर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर काॅल कर बताया कि सरपंच प्रतिनिधि श्री बच्चुखा जोधपुर अस्पताल से पुनः गांव आ गया हैं तथा कल दिनांक 17.09.2024 को गांव बरजासर मे ही रहेगा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को हिदायत दी गई कि आप कल दिनांक 17.09.2024 को वक्त 9.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित आवे तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरती जावे। तत्पश्चात वक्त 7.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री प्रतापसिह व गंगासिह को कल दिनांक 17.09.2024 को वक्त 9.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही ब्यूरो जाब्ता को भी वक्त 9.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांकः- 17.09.2024 को वक्त 9.15 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह एवं श्री गंगासिह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबंदसुदा कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्तः- 11.30 ए.एम पर पूर्व से पांबद्सुदा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। तत्पश्चात वक्तः- 11.35 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष की जामा तलासी गवाह श्री प्रतापसिह से लिवाई जाकर परिवादी के पास अपने मोबाईल फोन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि/आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व मे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे सफेद कागज मे लपेट कर अलमारी मे रखी हुई रिश्वत राशि गवाह श्री प्रतापसिह से निकलवाई जाकर, सफेद कागज से राशि बाहर निकलवाकर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह से रखवाई गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह से उक्त सफेद कागज जिसमे रिश्वत राशि लपेट कर रखी गई थी उक्त सफेद कागज को जला कर नष्ट करवाया गया इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाॅफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकस्मिक खर्च के 3000 रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। वक्त 12.05 पी.एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह, श्री गंगासिंह, परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष ब्यूरो जाब्ता श्रीमती अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री संजय कानि. 587, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बाॅक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाॅप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्वंय के निजी वाहन एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम एवं प्राईवेट वाहन आरजे 19 सीजे 0046 से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम बरजासर पंचायत समिति घण्टियाली जिला फलोदी की तरफ रवाना हुए। वक्त 315 पी एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन तथा प्राईवेट वाहन मय डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर, ट्रेप बाॅक्स, प्रिन्टर, लेपटाॅप एवं

परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली इत्यादि के ग्राम आउ से थोडा पहले वाहनों को रोड के साईड में एक तरफ गोपनीय स्थान पर खडे करवाये जाकर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष से आरोपी श्री बंच्चुखा की उपस्थिति के बारे मे गोपनीय रुप से पता करवाया गया तो आरोपी श्री बंच्चुखा सरपंच प्रतिनिधि पंचायत समिति घण्टियाली पर उपस्थित होना ज्ञात हुआ जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान के ग्राम आउ से पंचायत समिति घण्टियाली को रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्तः- 3.45 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन तथा प्राईवेट वाहन मय डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर, ट्रेप बाॅक्स, प्रिन्टर, लेपटाॅप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली के पंचायत समिति घण्टियाली से थोडा पहले वाहनों को रोड के साईड में एक तरफ गोपनीय स्थान पर खडे करवाये जाकर श्री संजय कानि0 587 से कार्यालय का डिजीटल वाॅयस रिकार्डर चालू करवा कर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष को सुपर्द करवाया जाकर पैदल ही पंचायत समिति घण्टियाली के लिए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता पंचायत समिति घण्टियाली में अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। वक्त 4.00 पी एम. पर परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष ने पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने मोबाईल नम्बर 8279 111242 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस काॅल कर किया। जिस पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह व श्री गंगासिंह, ब्यूरो दल के सदस्य श्रीमती अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587 हमराह लेकर पंचायत समिति कार्यालय घण्टियाली मे प्रवेश हुआ तो तहसील कार्यालय घण्टियाली के उपर प्रथम तल पर बने पंचायत समिति कार्यालय के बरामदे मे परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष खडा मिला परिवादी के पास ही एक अन्य व्यक्ति जो सफेद कुर्ता पायजामा एवं सिर पर सफेद टोपी पहने हुए एक व्यक्ति परिवादी के पास खडा मिला। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच आॅफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वाॅयस रिकाॅर्डर मे रिकाॅर्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान परिवादी ने अपने पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री बच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर है, जिन्होने अभी मेरे से मेरी पत्नी श्रीमती द्रोपदा के नाम स्वीकृत टांका के मस्टरोल जारी करने, मस्टरोल मे पूरा पैमेन्ट भरने, एवं अन्य कार्य प्लान में फीड करने की एवंज मे मेरे से मांग कर 10,000/- रुपये प्राप्त कर, अपने पहने हुए सफेद पायजामा की सामने की दाहिनी जेब मे रखें हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय हमराहियान उक्त व्यक्ति से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय दोनो गवाहान व ब्यूरो टीम का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री बंच्चुखां पुत्र श्री हुसैनखा जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी थाटो की ढाणी बरजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी हाल- सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर पंचायत समिति घण्टियाली जिला फलोदी होना बताया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु गवाहान के ग्राम पंचायत बरजासर के सरपंच कौन हैं के बारे मे पूछने पर श्री बंच्चुखा ने बताया कि ग्राम पंचायत बरजासर की सरपंच श्रीमती अरबाखातु पत्नी श्री शेरमोहम्मद हैं मै श्रीमती अरबा खातु सरपंच ग्राम पंचायत बरजासर का जेठ हुं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बच्चुखां से पूछा कि ग्राम पंचायत बरजासर के सरपंच पद का कार्य कौन देख रहा हैं तो श्री बच्चुखा ने बताया कि ग्राम पंचायत बरजासर के सरपंच पद का कार्य मै ही करता हुं, साथ ही बताया कि मै उक्त कार्य के साथ-साथ मदरसा ताली मुल्क कुरान मोहरनगर पंचायत समिति घण्टियाली मे पैरा टीचर (संविदा) भी लगा हुआ हुं। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष की तरफ ईशारा कर श्री बच्चुखां को पूछा गया कि आप इसे जानते हो जिस पर श्री बंच्चुखा ने रुबरु गवाहान के बताया कि यह श्री सुभाष हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बंच्चुखा से पूछा गया कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं तथा श्री शिशपाल उर्फ श्री सुभाष की पत्नी के नाम से टांका निर्माण से संबंधित आपके पास कोई कार्य विचाराधीन हैं के बारे मे पूछने पर श्री बंच्चुखा सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि श्री सुभाष की पत्नी श्रीमती द्रोपदा के नाम से एक टांका स्वीकृत हैं तथा मुझे श्री सुभाष ने अभी- अभी 10,000/- रुपये दिये हैं जो मैने अपने पहने हुए सफेद पायजामा की सामने की दाहिनी जेब मे रखे हैं, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बच्चुखा को पूछा कि आपने श्री शिशपाल उर्फ सुभाष से किस बात के पैसे लिये हैं तो श्री बंच्चुखां ने पहले तो बताया कि मेरी श्री सुभाष से लेन-देन हैं उसके पैसे श्री सुभाष ने मुझे आज लाकर दिये हैं। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष ने आरोपी के उक्त कथन का खण्डन करते हुए रुबरु गवाहान के बताया कि मेरी श्री बंच्चुखा से कोई लेन-देन बकाया नही हैं मेरी पत्नी श्रीमती द्रोपदा के नाम से स्वीकृत टांका के मस्टरोल जारी करने, मस्टरोल मे पूरा पैमेन्ट भरने एवं अन्य कार्य प्लान में फीड करने की एवंज मे श्री बच्चुखा द्वारा मेरे से 10,000/- रुपये प्राप्त किये हैं। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री बंच्चुखां सरपंच प्रतिनिधि को पूछा गया कि परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष की पत्नी श्रीमती द्रोपदा के नाम से स्वीकृत टांका के मस्टरोल इत्यादि रिकाॅर्ड कहा पर हैं तो आरोपी श्री बंच्चुखा ने बताया कि उक्त रिकाॅर्ड पंचायत समिति घण्टियाली मे

बने सभा भवन मे श्री महेन्द्रसिह की टेबल पर मेरे बस्ते मे पडा हैं, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त रिकाॅर्ड जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर आईन्दा जरिये फर्द जब्त करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान श्री शिशपाल उर्फ सुभाष ने बताया कि श्री दिनेश जेटीए भी सामने बैठा हैं जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती अनु चोधरी को श्री दिनेश जेटीए को दस्तियाब करने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री बंन्चुखा सरपंच प्रतिनिधि के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया। चूंकि उक्त स्थान तहसील कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालय होकर कार्यालय मे भीड़भाड़ अधिक होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना भोजासर जिला फलोदी मे करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री बंन्चुखा को यथा स्थिति में ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन मे बैठाकर, परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष व स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री प्रतापसिह, गंगासिह एवं शेष ब्यूरो जाब्ता मय श्री दिनेश जेटीऐ को हमराह लेकर सरकारी वाहन बोलेरो तथा निजी वाहन/प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना भोजासर पहुचने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व ब्यूरो जाब्ता के सरकारी व निजी वाहन/प्राईवेट वाहन से तहसील कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना भोजासर जिला फलोदी जिला पहुचे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना हाजा पर उपस्थित थानाधिकारी श्री दलपतसिह चोधरी को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पर करने की सहमति प्राप्त की गई एवं थानाधिकारी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान तथा आरोपी व परिवादी की आमद रोजनामचा मे करने की हिदायत की गई । तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बंन्चुखां सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर से तसल्ली पूर्वक पूछा गया कि आपने परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष से आज जो राशि प्राप्त की गई हैं वह राशि किस बात के लिये ली गई हैं तो श्री बंन्चुखा ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान के बताया कि श्री शिशपाल उर्फ सुभाष की पत्नी श्रीमती द्रोपदा के नाम से राजीव नगर बरजासर मे टांका स्वीकृत हो रखा हैं, उक्त टांका के नये मस्टरोल जारी करने, मस्टरोल मे पूरा पैमेन्ट भरने तथा अन्य कार्य प्लान मे फीड करने की एवज मे श्री सुभाष ने मुझे आज 10,000/- रुपये दिये हैं जो मेरे पहने हुए सफेद पायजामा की सामने की दाहिनी जेब मे रखे हैं, एवं कंहा कि साहब मेरे से गलती हो गई हैं माफ कर दो। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री बंन्चुखा को यह पूछा गया कि आप द्वारा परिवादी से दिनांक 31.08.2024 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान उक्त रिश्वत राशि स्वंय, जेटीए श्री दिनेश व बीडीओ के लिये लेने की बात कही हैं। उक्त प्राप्त की गई राशि मे और किस-किस का हिस्सा हैं जिस पर आरोपी श्री बंन्चुखा द्वारा बताया गया कि उक्त राशि मैने मेरे लिये ही ली हैं उक्त राशि मे अन्य किसी का कोई हिस्सा नही हैं, और मैने उनके नाम वैसे ही ले लिये थे। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिनेश जेटीए से पूछा गया कि आरोपी श्री बंन्चुखा द्वारा वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से आपके नाम से रिश्वत राशि की मांग की गई हैं उक्त रिश्वत राशि मे आपका कितना हिस्सा हैं जिस पर श्री दिनेश जेटीए ने रुबरु गवाहान के बताया कि श्री बंन्चुखा द्वारा मेरा नाम गलत तरीके से लिये हैं मैने श्री बन्चुखा को श्री शिशपाल से पैसे लेने हेतु नही कहा था। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जेटीए श्री दिनेश द्वारा आरोपी श्री बंन्चुखा के बस्ते से प्राप्त रिकाॅर्ड का अवलोकन करवाकर पूछा कि यह रिकाॅर्ड क्या हैं तो श्री दिनेश ने बताया कि श्री बन्चुखां ग्राम पंचायत बरजासर के सरपंच का समस्त कार्य करता हैं उक्त रिकाॅर्ड मे एक ग्राम पंचायत बरजासर के विभिन्न विकास कार्यो की एम.बी., एवं हरे पेज पर महानरेगा योजना के ग्राम पंचायत बरजासर के विभिन्न कार्यो के श्रमिको के मस्टररोल हैं एवं अन्य फाईले अपना खेत अपना काम की पत्रावलिया हैं। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिनेश जेटीए को बाद पूछताछ थाना से रवाना किया गया। तत्पश्चात थाना हाजा के थानाधिकारी कक्ष मे पहुच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर दोनो गिलास मे पुलिस थाना के मटका से पीने का साफ पानी की प्लास्टिक बोतल भरवाया जाकर मंगवाया तथा दोनों गिलासों में उक्त बोतल से साफ पानी भरवाया जाकर उक्त प्लास्टिक गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री बंन्चुखां के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियों मे भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया। उक्त दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री बंन्चुखां के बाये हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त मटमेला धोवन को भी दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री प्रतापसिह से आरोपी श्री बंन्चुखां के पहने हुए सफेद पायजामा के की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहने हुई सफेद पायजामा के सामने की दाहिनी जेब मे 500-500 रूपये के नोटो का एक बण्डल

मिला जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह से उक्त नोटो की गिनती करवाई गई तो 500-500 रुपये के कुल 20 नोट कुल 10,000/- रुपये पाये गये। उक्त राशि के अतिरिक्त उक्त पायजामा की किसी भी जेब में अन्य कोई राशि, दस्तावेज अथवा अन्य सामान नहीं पाया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री गंगासिह को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री प्रतापसिह द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामद रिश्वति राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बंच्चुखा सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर के पहनने हेतु एक अन्य पायजामा की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी के पहने हुए सफेद पायजामा को उतरवाकर उक्त अन्य पायजामा पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बाॅक्स से निकलवाकर पुलिस थाना के मटका से साफ पानी की भरवाई गई प्लास्टिक बोतल से प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी के वक्त घटना पहने हुए सफेद पायजामा की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झाईनुमा हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त हल्का गुलाबी झाईनुमा धोवन को दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया तथा उक्त सफेद पायजामा की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पायजामा को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क-पी अंकित किया गया। ट्रेप कार्यवाही मे बरामद हुई रिश्वति राशि 10,000/- रूपये, आरोपी श्री बंच्चुखा सरपंच प्रतिनिध ग्राम पंचायत बरजासर के दोनों हाथो के धोवन की शिशियां, आरोपी के पहने हुए सफेद पायजामा की सामने की दाहिनी जेब के धोवन की शीशीयां एवं आरोपी के पहने हुए पायजामा को कपड़े के पैकेट में डालकर सील मोहर किया गया। आरोपी श्री बंच्चुखा से की गई पूछताछ, आरोपी के दोनो हाथो के लिये गये धोवनो तथा आरोपी से रिश्वती राशि बरामदगी की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन से विडियोग्राफी की जाकर उक्त विडियोग्राफी की आईन्दा मैमोरीकार्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया। आरोपी श्री बंच्चुखा सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर पंचायत समिति घण्टियाली जिला फलोदी से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री बंच्चुखां पुत्र श्री हुसैनखा जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी थाटो की ढाणी बरजासर तहसील व जिला फलोदी द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष की पत्नी श्रीमती द्रोपदा, श्री ओमाराम पुत्र श्री सोनाराम व सोनाराम पुत्र श्री अमलूराम के नाम से स्वीकृत टांका निर्माण हेतु नये मस्टरोल जारी करने, मस्टरोल मे पूरा पैमेन्ट भरने तथा अन्य कार्य प्लान मे फीड करने की एवज मे परिवादी से दिनांक 31.08.2024 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान स्वंय, श्री दिनेश जेटीए व बी.डी.ओ के नाम से प्रति श्रमिक 500 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना, जिस पर परिवादी द्वारा उक्त तीनो टांका के नये मस्टरोल जारी करने, मस्टरोल मे पूरा पैमेन्ट भरने तथा अन्य कार्य प्लान मे फीड करने की एवज मे 30,000/- रुपये देने हेतु कहने पर आरोपी श्री बंच्चुखां द्वारा सहमति प्राप्त करने तथा आज दिनांक 17.09.2024 को वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष से अपनी पत्नी श्रीमती द्रोपदा के हिस्से की 10,000/- रूपये रिश्वती राशि सरपंच एवं अन्य के नाम से प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 की धारा 7ए के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। अब तक के हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन कर रहबरी हासिल की गई। आरोपी श्री बंच्चुखा सरपंच प्रतिनिधि के आवास की खाना तलाशी नही लेने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 9.45 पी एम. पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री बन्शुखां पुत्र श्री हुसैनखां उम्र 40 साल जाति मुसलमान निवासी थाटो की ढाणी बरजासर जिला जोधपुर हाल सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच श्रीमती अरबाखातु का जेठ) ग्राम पंचायत बरजासर पंचायत समिति घटियाली जिला फलोदी से की गई पूछताछ व हाथ धोवन कार्यवाही एवं आरोपी श्री बन्शुखां के पहने हुए पायजामा की सामने की दाहिनी जेब से रिश्वति राशि बरामद होना जिसका लिया गया धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री बन्शुखां द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष की पत्नी श्रीमती द्रोपदा के नाम से स्वीकृत टांका के नये मिस्टररोल जारी करने मस्टररोल मे पूरा पैमेन्ट भरने तथा अन्य कार्य प्लान मे फीड करने की की एवज मे आरोपी श्री बन्शुखां द्वारा वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष से 10,000/- रूपये रिश्वति राशि मांग कर प्राप्त कर अपनी पहने हुए सफेद पायजामा की सामने की दाहिनी जेब में रखना, जो रिश्वति राशि आरोपी के पहने हुए सफेद पायजामा की दाहिनी जेब से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री बन्शुखां पुत्र श्री हुसैनखां उम्र 40 साल जाति मुसलमान निवासी थाटो की ढाणी बरजासर जिला जोधपुर हाल सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच श्रीमती अरबाखातु का जेठ) ग्राम पंचायत

बरजासर पंचायत समिति घटियाली जिला फलोदी को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी के दौरान आरोपी के पहने हुए कुर्ते की उपर की जेब में आरोपी का आधार कार्ड पाया गया उक्त आधार कार्ड में आरोपी का नाम बन्शुखां होना पाया गया है। वक्त- 10.20 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान के श्री बन्शुखां पुत्र श्री हुसैनखां उम्र 40 साल जाति मुसलमान निवासी थाटो की ढाणी बरजासर जिला जोधपुर हाल सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच श्रीमती अरबाखातु का जेठ) ग्राम पंचायत बरजासर पंचायत समिति घटियाली जिला फलोदी का एक बस्ता जिसमे परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष के कार्य से संबंधित दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत बरजासर के विभिन्न विकास कार्यो से संबंधित दस्तावेजात जिसके प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर आरोपी श्री बन्शुखा एवं स्वतंत्र गवाहान श्री प्रतापसिह व गंगासिह हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर फर्द जब्ती अलग से मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट की गइ। वक्त 10.40 पी एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री शिशपाल उर्फ सुभाष पुत्र श्री बाबुराम जाति विश्नोई उम्र 31 साल निवासी राजीव नगर बरजासर तहसील फलोदी पुलिस थाना लोहावट जिला फलोदी एवं आरोपी श्री बन्शुखां सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच श्रीमती अरबा खातु का जेठ) ग्राम पंचायत बरजासर जिला फलोदी के मध्य दिनांक 17.09.2024 को हुई रूबरू रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वा◌ॅईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वा◌ॅयस रिका◌ॅर्डर को रूबरू गवाहान के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर डिजिटल वा◌ॅयस रिका◌ॅर्डर को कार्यालय के लेप-टा◌ॅप से जोडकर लेप-टा◌ॅप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री संजय कानि. 587 की सहायता से रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। उक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वा◌ॅयस रिका◌ॅर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिका◌ॅर्ड वार्ता की श्री संजय कानि. 587 से कार्यालय के लेप-टा◌ॅप मे का◌ॅपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टा◌ॅप की मदद से एक अन्य 4 जीबी का मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्ता 8 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 19.6 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री बन्शुखां तथा स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष द्वारा की गई। तत्पश्चात वक्त- 11.55 पी.एम. पर अधिक रात्रि का समय होने के कारण घटना स्थल नक्शा मौका बनाया जाना सम्भ्व नही हैं अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आईन्दा कल दिनांक 18.09.2024 को घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया तथा आरोपी श्री बन्शुखा सरपंच प्रतिनिधि को सुरक्षा की दृष्टि जमा हवालात करने हेतु श्री दलपतसिह चोधरी थानाधिकारी को सुपुर्द किया जाकर थाना के रोजनामचा आम मे रपट दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री प्रतापसिह, गंगासिह परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष एवं ब्यूरो जाब्ता मुकिम पुलिस थाना भोजासर हुआ। आरोपी श्री बंन्चुखा सरपंच प्रतिनिधि, आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां एवं पायजामा का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि, मूल मैमोरीकार्ड का शील्डसुदा पैकेट, मय डब मैमोरीकार्ड, डिजिटल वा◌ॅयस रिका◌ॅर्डर इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बा◌ॅक्स मन अतिरिक्त पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 18.09.2024 को वक्त 8.10 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां एवं पायजामा का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट, उक्त वार्तालाप का डब मैमोरीकार्ड, डिजिटल वा◌ॅयस रिका◌ॅर्डर इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बा◌ॅक्स को साथ लेकर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री प्रतापसिह व श्री गंगासिह, परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष तथा ब्यूरो जाब्ता के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु पंचायत समिति घटियाली की तरफ रवाना हुआ। वक्त 8.25 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा पंचायत समिति कार्यालय घण्टियाली पहुंचकर परिवादी की निशादेही के अनुसार फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करना शुरू किया। तत्पश्चात वक्त 9.20 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री प्रतापसिह व श्री गंगासिह एवं परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष तथा ब्यूरो जाब्ता के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल के अनुसार रिश्वति राशि लेन-देन प्राप्ति स्थल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय एक स्वतंत्र गवाह श्री गंगासिह एवं श्री संजय कानि. की दूरी करीब 80 फुट, श्री ओमप्रकाश कानि. की दूरी 15 फुट, श्री बचनाराम कानि. की दूरी 30 फुट, शेष अन्य ब्यूरो स्टाफ एवं स्वंतंत्र गवाहान प्रतापसिह की दूरी 250 फुट होना दर्शायी गई है तथा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान पूर्ण रोशनी थी। ताबाद घटना मौका स्थल से रवाना होकर पुलिस थाना भोजासर उपस्थित आया। वक्तः- 9.23 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल फोन से श्री हनुमानाराम विकास अधिकारी पंचायत समिति घण्टियाली के मोबाईल नम्बर [redacted] पर काल कर आरोपी श्री बन्शुखा सरपंच प्रतिनिधि की आवाज की पहचान हेतु ग्राम पंचायत बरजासर के ग्राम विकास अधिकारी व एक अन्य

कर्मचारी को पुलिस थाना भोजासर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। वक्तः- 10.50 ए.एम पर पूर्व से पांबद सुदा श्री हनुमानाराम विकास अधिकारी पंचायत समिति घण्टियाली एवं श्री गोपीलाल वरिष्ठ सहायक पंचायत समिति घण्टियाली उपस्थित आये तत्पश्चात वक्तः- 11.00 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान के उक्त दोनो आवाज पहचानकर्ता को दिनांक 31.08.2024 को परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष व आरोपी श्री बन्शुखा सरपंच प्रतिनिधि के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 17.09.2024 को परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष एवं आरोपी श्री बन्शुखा के मध्य हुई रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वा ॅयस रिका ॅर्डर मे रिका ॅर्ड हैं उक्त डिजिटल वा ॅयस रिका ॅर्डर को कार्यालय के लेप-टा ॅप से जोडकर कार्यालय के लेपटा ॅप के इनबिल्ट स्पीकर की सहायता से उक्त दोनो वार्ताओ के मुख्य-मुख्य अंश बारी-बारी से रुबरु गवाहान के पहचानकर्ताओ को सुनाई गई तो दोनो आवाज पहचानकर्ता श्री हनुमानराम व श्री गोपीलाल ने रिका ॅर्ड वार्ता को सुन समझ तसल्ली कर बताया कि उक्त दोनो वार्ताओ मे एक आवाज श्री बन्शुखा सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरजासर की हैं तथा उक्त रिका ॅर्ड वार्ताओ मे दूसरी आवाज को हम नही पहचानते हैं। फर्द आवाज पहचान अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। वक्त 11.25 ए.एम पर श्री हनुमानराम विकास अधिकारी पंचायत समिति घण्टियाली एवं श्री गोपीलाल वरिष्ठ सहायक पंचायत समिति घण्टियाली को रुखसत किया गया। तत्पश्चात वक्त 11.30 ए.एम. तक ट्रेप कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। आरोपी श्री बन्शुखा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की आकर वास्ते क्रम ांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जानी हैं। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री बन्शुखा सरपंच प्रतिनिधि के दोनो हाथो एवं उनके पहने हुए सफदे पायजामा की सामने की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो का प्रादर्श क्रमशः आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं सफेद पायजामा का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 10,000/- रुपये एवं दिनांक 17.09.2024 को रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक 4 जीबी का डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे इत्यादि प्रादर्श एवं डिजिटल वा ॅयस रिका ॅर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा मे हैं जो आईन्दा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुंच मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जावेगा। तथा गवाहान व परिवादी को रुखसत दी जावेगी। प्रकरण में परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष द्वारा पेश शिकायत दिनांक 24.08.2024 में संग्दिध आरोपी का नाम बंच्चुखां अंकित किया था तथा दरियाफ्त पर भी संग्दिध आरोपी का नाम बच्चुखां बताया था। परन्तु आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान ली गई जामा तलाशी में आरोपी के पास अपना आधार कार्ड जिसके नम्बर [redacted] जिसमे आरोपी का नाम श्री बन्शुखां पुत्र श्री हुसैनखां होना पाया गया है। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी का नाम श्री बन्शुखां पुत्र श्री हुसैनखां अंकित किया गया है। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री बन्शुखा पुत्र श्री हुसैनखा जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी थाटो की ढाणी बरजासर तहसील व जिला फलोदी द्वारा परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष की पत्नी श्रीमती द्रोपदा, श्री ओमाराम पुत्र श्री सोनाराम व सोनाराम पुत्र श्री अमलूराम के नाम से स्वीकृत टांका निर्माण हेतु नये मस्टरोल जारी करने, मस्टरोल मे पूरा पैमेन्ट भरने तथा अन्य कार्य प्लान मे फीड करने की एवज मे परिवादी से दिनांक 31.08.2024 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान स्वंय, श्री दिनेश जेटीए व बी.डी.ओ के नाम से प्रति श्रमिक 500 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना, जिस पर परिवादी द्वारा उक्त तीनो टांका के नये मस्टरोल जारी करने, मस्टरोल मे पूरा पैमेन्ट भरने तथा अन्य कार्य प्लान मे फीड करने की एवज मे 30,000/- रुपये देने हेतु कहने पर आरोपी श्री बन्शुखां द्वारा सहमति प्राप्त करने तथा आज दिनांक 17.09.2024 को वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री शिशपाल उर्फ सुभाष से अपनी पत्नी श्रीमती द्रोपदा के हिस्से की 10,000/- रूपये रिश्वती राशि सरपंच एवं अन्य के नाम से प्राप्त कर अपने पहने हुए सफेद पायजामा की सामने की दाहिनी जेब मे रखना जहां से रुबरु गवाहान रिश्वती राशि 10,000/- रुपये बरामद होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 की धारा 7ए के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपी श्री बन्शुखा पुत्र श्री हुसैनखा जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी थाटो की ढाणी बरजासर तहसील व जिला फलोदी के दोनो हाथो के अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवनो का रंग हल्का गुलाबी एवं मटमेला आना, रिश्वति राशि, आरोपी के पहने हुए सफेद पायजामा के सामने की दाहिनी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद होना उक्त पायजामा की जेब का लिया गया धोवन हल्का गुलाबी झाईनूमा पाया गया। इस तरह आरोपी श्री बन्शुखा पुत्र श्री हुसैनखा जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी थाटो की ढाणी बरजासर तहसील व जिला फलोदी का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रम ाकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बन्शुखां पुत्र श्री हुसैनखां उम्र 40 साल जाति मुसलमान निवासी थाटो की ढाणी बरजासर जिला जोधपुर हाल सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच श्रीमती

अरबाखातु का जेठ) ग्राम पंचायत बरजासर पंचायत समिति घटियाली जिला फलोदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ओम प्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर एस.यू. को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 281 पर अंकित है।
(महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1102-1105 दिनांक 18-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर। 2-निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** OM PRAKASH Chodhary **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/01/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)